न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 125/2016
जी.सी.एस.एम. नं. 2016/00158
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 16.04.2021

1. धर्मसिंह पुत्र घसीड़ा मृतक जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/1. दयावती पत्नि धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. शिवदेई पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3.जाबोदेवी पुत्री धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. तेनपाल पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/5. गुमान पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/6. भंवरसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. घनश्याम पुत्र रोशन जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. द्रोपदी बेवा रोशन जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. फूलवती वेवा कल्लासिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. भूपाल पुत्र कल्लासिहं जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. निरंजन पुत्र कललासिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
5. श्रीमान सब रजिस्टार नदबई।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री जगवीरसिंह (प्रार्थीगण की और से)

श्री अशोक कुमार बिहारिया (अप्रार्थीगण की और से)

निर्णय

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवीन वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि आराजी खाता स. 114 के ख0नं0 35 [illegible] 118, 266 रकवा 0.10, 267 रकवा 0.01, 268 रकवा 0.60, 269 रकवा 0.01, 423 [illegible]5, 459 रकवा 0.05, 930 रकवा 0.21, 931 रकवा 0.47, किता 9 रकवा 1.68 वाके ग्राम बी[illegible] तहसील नदबई जिसके साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

खसरा नम्बरान 26 रकवा 14 वि, 206 रकवा 8 वि., 207 मिन नम्बर रकवा 2 बी. 9 वि., 339 मिन नम्बर 8 बि.,605 रकवा 17 बि.,606 रकवा 1 बी. 17 वि. वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई पर स्थित है।

3. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण स. 2 प्रार्थन पत्र की आराजीयात पैत्रिक आराजीयात है।

घसीडा मृतक

- कल्लासिंह मृतक
  - फूलवती
  - भूपालसिंह
  - निरंजनसिंह
- धर्मसिंह जीवित
- रोशनसिंह मृतक
  - द्रोपती
  - घनश्याम

4. यह है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है जो कि घसीडा के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदारी थे लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 ल.3 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी का दाखिला खारिज अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में करा लिया है। जबकि प्रार्थीगण का उक्त आराजी में मुताबिक हिस्सा हक बनता हैं और आज भी मौके पर मुताबिक हिस्सा मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 ल0 3 के नाम हो रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन कराकर अपने आप को खातेदार काश्तकर घोषित करापाने के मुश्तक है।

5. यह कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को बा मुकाम बिलौठ तह0 नदबई पर दिनांक 20.07.2016 को यह एलानियॉ धमकी दी है। कि जो घसीडा की आराजी है। जिसपर अप्रार्थीगण के गलत तरीके से हो रहे इन्द्राजात के आधार पर आराजी को रहन व मुन्तकिल कर देंगे तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर देगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी मे मदाखलत मजाहमत न करे रहन वय मुन्तकिल न करे तथा राजस्व व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री जगवीर सिंह एड़वोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया । प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 की आर से श्री नन्नूराम शर्मा उपस्थित हुये उसके बाद इनकी ओर से श्री अशोक कुमार बिहारिया उपस्थित हुये अप्रार्थी सं. 4 ल. 5 के

खिलाफ तामील बाबजूद अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई उसके बाद अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अपने जबाब प्रार्थना पत्र निम्नांकित तथ्य पेश किये गये जो इस प्रकार है।

1. यह कि मद सं. 1 में मात्र दावा का पेश होना स्वीकार है। सफलता की कोई उम्मीद नही है।
2. यह कि मद सं. 2 में विवादित आराजी वाके ग्राम विलौठ तह0 नदबई में स्थित होना स्वीकार है। अन्य अस्वीकार है।
3. यह है कि मद सं. 3 प्रार्थना पत्र में दर्शित सजरा आंशिक स्वीकार है।
4. यह है कि चरण सं. 4 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर की गई हैं । पूर्ण रूपेण गलत होने के कारण अस्वीकार हैं वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 114 में दर्ज विवादित आराजी के जबाब देहंदा गैरसायलान एब्सूट खातेदार कृषक है। और राज0 काश्तकारी अधिनियम के फॉर्रा के आने के समय से ही गैरसायलान सं. 1 के पति व गैरसायलान सं. 2 व 3 के पिता कल्ला की खातेदारी में दर्ज है। जिसपर अब गैरसायलान विरासतन काबिज और काश्त करते हुये चले आ रहे है।
5. यह कि चरण सं. 5 प्रार्थना पत्र मन्तगढन्त व साबिक रिकार्ड के अभाव में काबिल खारिजी के है।
6. यह है कि जब सायलान का गैरसायलान की उक्त विवादित आराजी से कभी कोई सरोकार नही रहा है। तो उन्हें धमकी देने का प्रश्न पैदा नही होता है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के हक में हो कर गैरसायलान के हक में बखूबी साबित है। जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2071 से 2074 वाके ग्राम बिलौठ नकल फोटो प्रति मिलान क्षेत्र. सम्वत 2060 व 2028 नकल जमाबंदी सम्बत 2013 वाके ग्राम विलौठ नकल केबट खतौनी वाके ग्राम विलौठ , नकल जमाबंदी सम्वत 2009 वाके ग्राम बिलौठ तहसील नदबई पेश की गई।

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी सम्बत 2013 ल0 2017 तथा नकल मिलान क्षेत्र0 सम्बत 2028 व 2060 वाके ग्राम विलौठ तहसील नदबई पेश की गई ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

1. <u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. भी पेश किया गया है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पेश किया गया है । आराजी खाता स. 114 के ख0न0 35 रकवा 0.18, 266 रकवा 0.1 267 रकवा 0.01, 268 रकवा 0.60,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

269 रकबा 0.01, 423 रकबा 0.05, 459 रकबा 0.05, 930 रकबा 0.21, 931 रकबा 0.47, किता 9 रकबा 1.68 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई में है। जिसके साबिक खसरा नम्बरान 26 रकबा 14 वि, 206 रकबा 8 वि., 207 मिन नम्बर रकबा 2 बी. 9 वि., 339 मिन नम्बर 8 बि. ,605 रकबा 17 बि.,606 रकबा 1 बी. 17 वि. वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई पर स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 की सम्पत्ति की पैत्रिक आराजीयात घसीड़ा रो आना बतायी गयी है। जिस पर प्रार्थीगण जन्म से ही हक व हिस्सा होना बताया गया है। तथा पैत्रिक आराजीयात होने साथ वा हिस्सा बराबर खातेदार की घोषणा चाही गई है। अतः उपरोक्त विवाद बिन्दु का निस्तारण दावा में तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान के साक्ष्य लेकर सुनवायी के बाद किया जावेगा। तब तक विवादित आराजीयात वाद की बहुल्यता को रोकने के लिए एवं दावा की विषयवस्तु को मैरिट तक सुरक्षित रखने के लिए रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है।

2. सुविधा का संतुलन :— प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है।

3. अपूर्ण क्षति :— चूंकि प्राथीगर्ण द्वारा घोषणात्मक दावा पेश किया है। जिसमें अपना हक चाहा है। अगर उक्त विवादित आराजीयात का फिर से बेचान तथा आराजी खुर्द —बुर्द होती है तो दावे के निस्तारण में अनावश्यक पेचीदगी होगी, तथा बेजा मुकदमे बाजी बढेगी, तो अपूर्ण क्षति भी प्रार्थी को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता स. 114 के ख0न0 35 रकबा 0.18, 266 रकबा 0.10, 267 रकबा 0.01, 268 रकबा 0.60, 269 रकबा 0.01, 423 रकबा 0.05, 459 रकबा 0.05, 930 रकबा 0.21, 931 रकबा 0.47, किता 9 रकबा 1.68 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई में है।,पर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 21.07.2016 को इस आशय के साथ कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात की दावे के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थितिबनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 [illegible] न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:02 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰